अनुभव, संघर्ष और कार्य योजना

बचपन के प्रारंभिक काल में जब मैं आठवी में पढ़ता था तो मेरा स्कूल के एक ब्राह्मण गुंडे से टकराव हो गया। मैंने जातीय मान्याताओं के विपरीत स्कूल के हरिजन, मुस्लिम बच्चों से परिवारिक मित्रता का विस्तार किया। मैंने प्रतिक्रिया स्वरूप छुआछूत का विरोध किया तो शहर के ब्राह्मणों ने मेरा धार्मिक उत्पीड़न करते हुए मेरे परिवार पर धार्मिक प्रतिबंध लगाये। मैं ईसाई धर्म के निकट गया और इसाई बनने ही वाला था कि आर्य समाज के रामगोपाल जी शालवाले और ओमप्रकाश जी त्यागी ने मुझे आर्य समाज के साथ जोड़ लिया। आर्य समाज के सन्यासियों के साथ मेरा बढ़ता सम्पर्क और रूचि को एक नया संकट समझते हुए मेरे परिवार वालों ने सोलह वर्ष की उम्र में ही मेरा विवाह कर दिया। मैंने आर्य समाज के मंच से सनातनी ब्राहम्मणों को कड़ी टक्कर दी। मेरा नाम पंडित बजरंगलाल आर्य हो गया। मै कई घरों में पूजा कराने लगा। जब मैं विवाह पद्धति सीखने लगाा तब सनातनी ब्राहम्मणों ने समझौता कर लिया और मेरे परिवार को तैयार किया कि अपना नाम बजरंग लाल अग्रवाल ही रखूँ भले ही आर्य समाज के सभी कार्य और विचारों को मानता रहूँ।

मैंने अपने शहर के लोगो से निवेदन किया कि गुण्डागर्दी पर नियंत्रण के लिये वे मुझे कानूनी ताकत दें। मै समाजवादी पार्टी झोपड़ी छाप का अध्यक्ष बना और हमारी पूरी टीम नगर पालिका चुनाव में भारी बहुमत से जीत गई। मुझे सर्व सम्मति से नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया। किन्तु प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे अध्यक्ष बनने से इस आधार पर रोक दिया कि मेरी उम्र सिर्फ 17 वर्ष है जबकि उस समय के कानून अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष के लिये पच्चीस की उम्र आवश्यक थी। मुझे महसूस हुआ कि नितान्त स्थानीय व्यवस्था में कानूनो के अनावश्यक बंधनों से हम पूरी तरह जकड़े हुए हैं।

आठ वर्ष बाद मेरी उम्र पच्चीस की हुई तो स्वयं चुनाव जीतकर मैं नगरपालिका अध्यक्ष बना। मुझे उम्मीद थी कि मेरे हाथ में इतनी कानूनी शक्ति होगी कि गुण्डागर्दी या तो रोक दूँगा या रोकने का मार्ग प्रशस्त करूँगा। अध्यक्ष बनते ही मैने देखा कि नगरपालिका का अपराध नियंत्रण में कोई भूमिका नहीं है। नगरपालिका तो मात्र सड़क, पानी, प्रकाश और साफ सफाई के कार्य तक ही सीमित है। हम नगर की शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण विषयों पर भोपाल, दिल्ली, सरकारों के गुलाम मात्र हैं। मेरे मन ने दिल्ली भोपाल की सरकारों से धन से लेकर अपने शहर के विकास के बदले उनकी दलाली करने से इन्कार कर दिया और एक वर्ष में ही मैने नगरपालिका अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। रामानुजगंज के नागरिकों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला किन्तु मैं नही माना।

मैने तय किया कि अपराध नियंत्रण के लिये एक सामाजिक महासंग्राम की आवश्यकता है जिसमें संग्राम के लिये एक बिन्दु एक नेतृत्व पर स्पष्ट ध्रुवीकरण अनिवार्य है। स्पष्ट ध्रुवीकरण के लिये तीन बातें आवश्यक थी।

(1) अपराध की एक ऐसी परिभाषा जो स्पष्ट भी हो और हमारा बहुमत भी बनावे।

(2) ध्रुवीकरण में बाधक विचारों से बचना।

(3) ध्रुवीकरण में बाधक संगठनों से बचाना।

मैंने इस महासंग्राम को ''परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्'' नाम देकर अंग्रेजी में बिल्कुल सीधा–सीधा **War against antisocials** कहना शुरू किया। पूरे भारत में अपराधों की प्रचलित परिभाषा मानी जाती हैं ''सरकारी कानूनों का उल्लंघन''। राजनीतिज्ञ तो अपराधों की यही परिभाषा मानते ही है, सामाजिक धार्मिक लोग भी गुलामों की तरह इस परिभाषा का अनुकरण करते है। मैंने इस परिभाषा को अमान्य घोषित करके अपराध और गैर कानूनी को अलग अलग किया। नई परिभाषा के अनुसार पांच प्रकार के कार्य अपराध श्रेणी में शामिल हो सकते हैं–

(1) चोरी, डकैती, लूट, (2) बलात्कार, (3) मिलावट, कमतौल, (4) जालसाजी, धोखाधड़ी, (5) हिंसा, लड़ाई झगड़ा और आतंकवाद।

इन पांच के अतिरिक्त कोई छठवां कार्य अपराध नहीं माना जा सकता क्योंकि अन्य कार्य समाज की अल्पकालिक मान्यताओं का उल्लंघन मात्र है, स्थायी व्यवस्थाओ के विरूद्ध आक्रमण नहीं। ऐसे सभी कार्यो को गैर कानूनी मानकर अपराध से अलग किया गया । इनमें भ्रष्टाचार वैश्यावृत्ति ब्लैक, तस्करी , जुआ, शराब बनाना बेचना, गांजा, दहेज, बाल श्रम, बाल विवाह, छूआछूत, आदिवासी हरिजन कानून उल्लंघन, वन अपराध आदि हजारों कार्य शामिल हैं। हम लोगो ने अपराध करने वालो को तीन नम्बर और समाजविरोधी की पहचान दी। जबकि गैर कानूनी काम करने वालों को दो नम्बर और असमाजिक की। हमने आम लोगों का स्पष्ट ध्रुवी–करण करने के लिये तीन नम्बर के विरूद्ध दो नम्बर का मनोबल बढ़ाते हुए नारा दिया कि ''गर्व से कहो हम दो नम्बर है''। हमारे इस एक कदम मात्र से हमारे शहर में हमारी संख्या बढ़कर निन्यानव्रे प्रतिशत हो गई और अपराधियों की सिमट कर एक प्रतिशत से भी कम।

हमारे ध्रुवीकरण के इस प्रयास का स्पष्ट विरोध चरित्रवान लोगों की ओर से हुआ। इन चरित्रवानों ने मुझ पर बार बार आरोप लगाये कि मेरा प्रयत्न समाज के लिये हानिकर है। चरित्रवान यह मानने के लिये तैयार नहीं थें कि वैश्यावृत्ति, शराब व्यवसाय, तस्करी, ब्लैक करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ना उचित होगा। भ्रष्टाचार को तो दो नम्बर मानने के लिये आज भी कई लोग तैयार नहीं है। मेरठ के कृष्ण कुमार खन्ना तो आज तक भ्रष्टाचार और पांच प्रकार के अपराधों को अलग अलग मानने के लिये तैयार नहीं। सर्वोदय के कई घनिष्ठ सहयोगी भी आजतक मेरे विचार से सहमत नहीं क्योंकि इन सबने सामान्यकाल और आपात्काल में फर्क पर कभी विचार नहीं किया। इन लोगों ने कभी संग्राम संघर्ष और निर्माण के अंतर को भी नही समझा न कभी इस पर काम किया।

इन चरित्रवानों के असामयिक प्रचार से हमारे बहुत से साथी भी भ्रमित हो जाया करते थे जिन्हें समझाने में काफी तर्क वितर्क करना पड़ता था। कई बार तो मेरे साथी न मानते हुए भी मेरे साथ काम करने के लिये तैयार हो जाते थे।

हमारे सामने दूसरी बाधा थी गायत्री परिवार का नारा कि ''हम सुधरेंगे जग सुधरेगा''। यह नारा हमारा मनोबल तोड़ने वाला था। हम निन्यान्नवे प्रतिशत को पीड़ित मानते थे और वे दोषी। चूँकि हमारे शहर में गायत्री परिवार तो था ही नहीं आर्य समाज का मैं स्वयं ही प्रधान था इसलिये आर्य समाज और गायत्री परिवार का यह विचार हमें नुकसान नहीं कर सका।

हमारे सामने तीसरी बाधा थी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब, अमीर, उत्पादक, उपभोक्ता के आठ आधारों पर समाज के वर्ग विभाजन का प्रयास। इनमें से हमारे शहर में भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, गरीब–अमीर, उत्पादक– उपभोक्ता का वर्ग विभाजन नहीं था क्योंकि सौभाग्य से वहॉ साम्यवाद कोई संगठन नहीं था और समाजवादी विचारों का प्रमुख मैं ही था। जाति का भी कोई संगठन नहीं था किन्तु बाहर से जातिवादी लोग यदा कदा बहुत जोर मारते रहते थे जिनसें निपटनें में मुझे खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। अवर्ण जातियों का मेरे उपर इतना अटूट विश्वास था कि उन्हें कोई आज तक नहीं हिला सका। सवर्ण कभी–कभी बहकते भी थे तो मान जाते थे। महिलाओं का पृथक संगठन भी बनाने के सभी प्रयत्न विफल हो गये क्योंकि महिलओं को आर्य समाज में शुरू से ही समान भूमिका मिली है। किन्तु धर्म के नाम पर मुझे बहुत टकराव झेलना पड़ा। संघ के लोगों का मुझे व्यापक विरोध झेलना पड़ता था। जनसंधी होन के कारण मुसलमानों के सामने हमेशा ही मेरी तटस्थता संदिग्ध रहती थी। संघ के लोग इस तटस्थता को और भी अधिक संदिग्ध बनाने का प्रयास करते थें। कई बार तो मुझे संघ के साथियो से टकराना भी पड़ा किन्तु मैने धर्म को ध्रुवीकरण का पहला आधार बनने से रोक कर रखा क्योंकि ऐसा ध्रुवीकरण अपराधियों के विरूद्ध ध्रुवीकरण में बाधक हो सकता था।

कई बार मेरे साथी भ्रम में पड़ जाते थे तो अंत में मुझे यह समझाना पड़ता था कि धर्म, जाति और चरित्र की चर्चा करने वाले पूरे भारत में ऐसा भी परिवर्तन क्यों नहीं दिखा पा रहे जैसे रामानुजगंज में दिख रहा है तो वे निरूत्तर होकर मुझसे सहमत हो जाते थे। मैं आज भी मानता हूँ कि

अपराध की नई परिभाषा तथा प्रवृति के आधार पर स्पष्ट ध्रुवीकरण कराने में मैं जरा भी झुक जाता तो रामानुजगंज भी वैसा ही होता जैसा देश भर में है।

स्पष्ट ध्रुवीकरण से स्पष्ट टकराव भी हुआ । मेरी हत्या के कई विफल प्रयास हुए । उस समय के एक व्यक्ति ने मेरी हत्या की सुपारी ली थी और प्रयत्न भी किया जिसमें मैं बच गया । उक्त व्यक्ति बाद में मिनिस्टर बना और आज भी सम्मानित राजनेता है। अन्य अपराधियों से भी कई बार टकराव हुआ किन्तु हमारी सामाजिक एकता के सामने अपराधी टिक नही सके । सबसे खास बात यह रही कि सभी हिंसक आक्रमणों का मुकाबला पूरी तरह अहिंसक तरीके से किया गया । हम लोगों ने पूरे शहर मे पृथक न्याय व्यवस्था शुरू की तथा पृथक सुरक्षा व्यवस्थ चलाई किन्तु इस तरीके से कि वर्तमान शासन व्यवस्था से कहीं टकराव न हो बल्कि सामंजस्य ही बना रहें ।

मैं जयप्रकाश आंदोलन में पूरी तरह सक्रिया था। आपात्काल लगते ही मैं जेल में चला गया। 18 महिने तक जेल में रहा। वहॉ मैं अन्य साथियों के साथ बैठकर लगातार विचार मंथन किया करता था। हम कई साथियों ने मिलकर एक ब्लू प्रिन्ट बनाया था कि यदि हम सरकार में होते तो अपराधों की रोकथाम और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये क्या क्या कानूनी और प्रशासनिक उपाय करते। एकाएक सन् सतहत्तर में हमारी सरकार बन गई हमारे एक साथी ''लरंगसाय'' केन्द्र में मंत्री बने, दूसरे साथी प्रभुनारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश के गृहमंत्री हुए और मैं स्वयं जिला जनता पार्टी का अध्यक्ष बना। सत्ता की शीर्ष शक्ति इस तरह हमारे हाथ में थी कि हम यदि पूरे देश में कुछ न भी कर सकें तो भी मध्य प्रदेश में तो हम सब कुछ करके दिखा सकते थे और विशेष रूप से सरगुजा जिले की व्यवस्था तो हमारे ही हाथ में थी। पूरे कार्यकाल में हमारे साथी पूरी तरह ईमानदार रहे। इस हद तक कि आज तक उनकी ईमानदारी को उदाहरण माना जाता है। मुख्यमंत्री सकलेचा जी और पटवा जी मुझे बहुत मानते ही थे। मैने भी खूब भागदौड़ की। किन्तु नतीजा शून्य रहा। हम लोग अपने जिले के विकास में तो कुछ हद तक सफल रहे परन्तु भ्रष्टाचार और अपराध रोकने में हमें कोई सफलता नहीं मिली। सन् पचहत्तर के पूर्व जन सहयोग से हम जिस सीमा तक अपराध रोकने में सफल रहे उतनी सफलता भी सत्ता में नहीं मिल पाई क्योंकि सत्ता में हम एक व्यवस्थ से बंध गये थे। कानूनो में फेर बदल तो हम कर नहीं सके और वर्तमान कानूनों के आधार पर कोई परिवर्तन संभव नहीं था।

सन् अस्सी के सरगुजा के उपचुनाव में मैं चुनाव संचालक था। मैं प्रभाशंकर अवस्थी के साथ चुनाव चंदा करने निकला । हम सिंचाई विभाग के एक बड़े अफसर के पास गये और हमने उॅगली के इशारे से दो हजार रूपया की मांग की। वह अफसर गया और कागज में लपेटकर रूपया दिया और वह देने के बाद भी बहुत प्रसन्न था। रास्तें मैं मैने खोलकर देखा तो वह बीस हजार था। चुनाव के बाद हम पुनः उक्त अफसर को घटना बताये तो उन्होने कहा कि उसने तो पचास हजार की तैयारी की थी। आपकी दो उॅगलियों देखकर बहुत प्रसन्नत हुई कि चलो बीस में ही काम चल गया। तब हमें आभास हुआ कि राजनीति और धन का रिश्ता क्या है और हम इस मामलें में कितने अनाड़ी हैं।

मैं पूरी तरह स्पष्ट हूॅ कि सन् सतहत्तर में जो सरकार बनी थी उसमें ईमानदार लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। फिर भी वे भ्रष्टाचार को रोक नहीं सके। दोष व्यक्तियों का नहीं, व्यवस्था का था। सन् अस्सी में सरकार जाने के बाद भी मैं तीन चार वर्ष और राजनीति में रहा क्योंकि आगे कोई मार्ग दिख नहीं रहा था। परन्तु मैं पूरी तरह निराश था। निराशा सत्ता परिवर्तन की नहीं थी बल्कि निराशा यह थी कि सत्ता से समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ न ही हो सकता है।

24 दिसम्बर 1984 को मैंने रामानुजगंज में अपने राजनैतिक सामाजिक, धर्मिक साथियों को बुलाकर अपने मन की व्यथा स्पष्ट की। लम्बी चर्चा हुई, तय हुआ कि राजनीति छोड़ दी जाय किन्तु कुछ साथियों की राय थी कि फिर से रामानुजगंज में **Waragainst anti-socials** शुरू किया जाय, कुछ साथी यही संग्राम अम्बिकापुर में शुरू करने के पक्ष में थे और कुछ अन्य साथियों की इच्छा थी कि असफलता के कारणों की खोज की

जाय। अंत में व्यापक चर्चा के बाद सहमति बनी कि असफलता के कारणों की खोज करना अधिक उपयोगी होगा। रामानुजगंज के बाहरी जंगल में पहाड़ी के नीचे एक कमरा बनाकर उसे ज्ञान यज्ञ आश्रम नाम दिया गया और वहीं से अनुसंधान का काम शुरू किया गया। रामानुजगंज आर्य समाज ने अनुसंधान कार्य का नेतृत्व किया और व्यापार संघ ने खर्च की व्यवस्था की । जो खर्च कम पड़ता था वह या तो मैं लगाता था या अपनी जमीन बेचकर व्यवस्था करता था किन्तु कभी अनुसंधान में धन को बाधक नहीं बनने दिया।

अनुसंधान पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। प्रत्येक माह की अट्ठाईस तारीख को अम्बिकापुर शहर में बुद्धिजीवियों को बुलाकर आधे घंटे के यज्ञ के बाद ढाई घंटे एक निश्चित विषय पर खुली सेमीनार होती थी। इस सेमिनार में वामपंथी हिन्दू–मुसलमान आदि सभी वर्गो के लोग शामिल होते थे। प्रत्येक माह की तीस तारीख को यही प्रक्रिया रामानुजगंज शहर में दुहराई जाती थी। चार तारीख को यही सेमीनार और कहीं तीसरे स्थान पर रखते थें जिसमें कई बार बिहार के गढ़वा शहर में हुई। तीनों स्थानों पर विषय एक ही होता था। इसके बाद उक्त सेमीनार के निष्कर्ष पाक्षिक तत्व बोध में प्रकाशित होकर देश भर के सात हजार विद्वानों को भेजे जाते थे। ये विद्वान पढ़कर अपने विचार भेजते थे या प्रश्न करते थे। उक्त विचार और प्रश्नोत्तर पुनः तत्व बोध में प्रकाशित होते रहता था। हर महिने एक नया विषय आता था किन्तु नये विषय के साथ–साथ पुराने विषय पर भी मंथन तत्वबोध में जारी रहता था। चार वर्ष के बाद हम कुछ साथी और परिवार के लोग भारत–भ्रमण पर निकलते थे। जिसमें विभिन्न संगठनों, संस्थानों तथा धर्म स्थानों को देखने के साथ–साथ तत्वबोध के पाठकों से भी प्रत्यक्ष सम्पर्क होता था। इस यात्रा के बाद रामानुजगंज में एक राष्ट्रीय सेमीनार होती थी जो तीन से लेकर दस दिन तक लगातार चलती थी। सेमीनार में प्रतिदिन एक विषय पर लगातार बारह घंटे गंभीर विचार मंथन होता था और शाम को यदि अस्सी प्रतिशत के बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ तो पारित लिखा जाता था अन्यथा भविष्य में और विचार मंथन के लिये खुला रहता था। हम लोगो ने एक अनुमान लगाया था कि हम पंचान्नवे के अंत तक अंतिम निष्कर्ष निकाल लेंगे जिस पर दस वर्षो तक जनमत जागरण करके दो हजार पांच तक आंदोलन कर लेंगे। इसी योजनानुसार हमारा काम चलता रहा।

हमारा मासिक यज्ञ और विचार मंथन भी निर्विघ्न चलता रहा और तत्व बोध भी। हमने एक एक माह की पूरे भारत की कई यात्राएँ की । हमने सात से लेकर दस दिनों के तीन बड़े सम्मेलन भी रखे जिसमें दो तीन सौ लोग प्रतिदिन बारह घंटे बैठकर मंथन किया करते थे। इसके अतिरिक्त सरगुजा जिला स्तरीय विचार मंथन तो प्रतिवर्ष ही एक दिन का होता था जिसमें हजारों लोग भाग लेते रहे। पूरे कार्य में करीब पचास लाख रूपया तक खर्च हुआ। हम प्रसार और मीडिया से दूर रहकर सिर्फ निष्कर्ष निकाला करते थे।

पूरे आयोजन में मुख्य रूप से तीन साथी थे, (1) रोशनलाल अग्रवाल, (2) केशव जी चौबे, (3) मैं। हम तीनों ही नब्बे तक यह निष्कर्ष निकाल चुके थे कि सम्पूर्ण व्यवस्था में पांच मूल तत्व आवश्यक है, (1) अधिकारों का विकेन्द्रीकरण, (2) अपराध नियंत्रण की गारंटी, (3) आर्थिक असमानता में कमी, (4) श्रम मूल्य वृद्धि, (5) समान नागरिक संहिता। इन पांच मुद्दों पर आपस में कोई मतभेद नहीं था किन्तु जब यह विचार मंथन शुरू हुआ कि इन पांचो में क्रम क्या हो अर्थात् सबसे अधिक कौन और कम कौन मुद्दा हो तब आपस में सहमति नहीं हो पाई। मैं अपराध नियंत्रण को संग्राम का मुद्दा बनाना चाहता था, केशव चौबे जी समान नागरिक संहिता को सबसे उपर रखना चाहते थे और रोशनलाल जी आर्थिक असमानता नियंत्रण को। इसी बीच हमारे साथ आर.एन.सिंह जी जुड़ गये। आर.एन. सिंह जी ने लोक स्वराज्य अर्थात् अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को सुझाव दिया। ठाकुरदास जी बंग तो लगातार इस मुद्दे पर जोर देते ही थे। मै भी लोक स्वराज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर सहमत हो गया। हम तीन साथियों में बिखराव हो गया। केशव चौबे जी विश्व हिन्दू परिषद् से जुड़ गये, रोशन लाल जी और भरत गांधी ने मतदाता पेंशन का मुद्दा उठाया। मैने बंग जी ने सिंह साहब ने तथा आर्य भूषण जी भारद्वाज ने मिलकर लोक स्वराज्य को आगे रखा और ''(1) लोक स्वराज्य, (2) अपराध नियंत्रण, (3) नियंत्रिण आर्थिक असमानता, (4) श्रम महत्व वृद्धि, (5) समान नागरिक संहिता'' को क्रम बनाकर आगे बढ़े। सन् पंचान्नवे तक हम

संशोधित भारतीय संविधान का एक प्रारूप बनाने में सफल हो गये। इस प्रारूप में पॉच मुद्दे तो मुख्य थे ही, अन्य सभी मुद्दों पर भी निष्कर्ष निकाले गये थे। इसमें परिवार प्रणाली की संवैधानिक मान्यता के प्रावधान रखे गये। इसमें फांसी की सजा का विकल्प भी प्रस्तुत किया गया। इसमें मूल अधिकार की वर्तमान अवैज्ञानिक परिभाषा को संशोधित करके वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसमें चुनाव प्रणाली को भी कम खर्चीली किन्तु अधिक प्रभावशाली स्वरूप दिया गया। इसमें संविधान को संसद से अधिक प्रभावशाली बनाने की भी ऐसी व्यवस्था की गई कि संसद स्वेच्छाचारी न बन सके। इन संसाधनों में ऐसा भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्र सत्ता विश्व व्यवस्था की पूरक बन सके। परिवार नियोजन, शस्त्र नियंत्रण आदि मुद्दों पर भी व्यापक विचार मंथन हुआ।

हमने पाया कि लोक स्वराज्य को आधार घोषित करके सर्वोदय समाज में सबसे अधिक सक्रिय है किन्तु सर्वोदय ही लोक स्वराज्य को सबसे अधिक भ्रमित कर रहा है। अनेक काम सर्वोदय की सूची में सबसे ऊपर रहते हैं। किन्तु लोक स्वराज्य आंदोलन के लिये उसे फुर्सत नहीं। जय प्रकाश आंदोलन के बाद के तीस वर्षो में सर्वोदय ने लोक स्वराज्य की दिशा में सिर्फ एक सक्रियता दिखाई कि दो हजार चार में कालीकट में एक त्रिसूत्रीय संविधान प्रस्ताव पारित कर दिया और उसके बाद चुप बैठ गये। अब फिर पांच दस वर्षो में ऐसा ही कोई और प्रस्ताव पारित करके लोक स्वराज्य के प्रति अपनी सक्रियता व निष्ठा की खाना पूर्ति कर पुनः चुप बैठ जायेंगे।

अपराध नियंत्रण का सारा जिम्मा सरकार ने ले रखा है लेकिन अपराध नियंत्रण को छोड़कर बाकी सब कामों में सरकार बहुत सक्रिय रहती है। सरकार तीन अंगो को मिलाकर बनती है (1) विधायिका, (2) कार्यपालिका, (3) न्यायपालिका। तीनों में विधायिका सबसे अधिक शक्तिशाली है और उसी ने अपराधियों के साथ सांठ गांठ कर रखी हैं। सरकार के कुल बजट का सिर्फ एक प्रतिशत पुलिस और कोर्ट पर खर्च होता है जबकि सुरक्षा और न्याय उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। शिक्षा, स्वास्थ सामाजिक न्याय आदि पर प्रशासन की सक्रियता देखते ही बनती है किन्तु अपराधों की रोकथाम के समय प्रशासन नागरिकों को ही शस्त्र लाइसेंस लेने की अपेक्षा करना शुरू कर देता है।

आर्थिक असमानता नियंत्रण और श्रम शोषण मुक्ति की व्यवस्था में साम्यवादी सबसे अधिक सक्रिय दिखते हैं। कुछ हद तक समाजवादियों की भी इसमें सहभागिता होती है किन्तु उनकी सक्रियता साम्यवादियों की अपेक्षा बहुत कम होती है। साम्यवादियों का व्यवहार तो ऐसा होता है जैसे वे इस समस्या के समाधान के ठेकेदार ही हों। हम लोगों ने अनुसंधान किया तो पाया कि आर्थिक असमानता में कमी और श्रम शोषण मुक्ति में सबसे अधिक बाधक यही दोनो दल हैं। ये दोनों ही कृत्रिम उर्जा मूल्यों में कमी की तो जोरदार वकालत करते रहते हैं किन्तु साईकिल, कृषि उपज, वन उपज आदि के टैक्स समाप्त करने की बात कभी नहीं करते । ये लोग संगठित श्रमिको के लिये तो वास्तविक आंदोलन करते हैं, किन्तु असंगठित श्रमिकों के लिये इनके प्रयत्न घड़ियाली आंसू से अधिक नहीं दिखते। ये लोग आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाने का विरोध करते हैं और कृत्रिम उर्जा के मूल्य घटाने की मांग करते है, जबकि भारत के तेतीस प्रतिशत विपन्न वर्ग मात्र तीन चार प्रतिशत। इसके ठीक विपरीत तैंतीस प्रतिशत विपन्न वर्ग सत्तर प्रतिशत। साम्यवादी कलकत्ता की सड़कों पर हाथ रिक्शा चलने की शर्म से मुक्ति के लिये उनकी मजबूरी दूर करने के मार्ग खोजने की अपेक्षा उन्हें सड़कों से हटाने को मानवता का चोला पहनाते है। इनकी बेरोजगारों की परिभाषा ऐसी विचित्र है कि उसकी सूची में सत्तर रूपया में काम करने के लिये तैयार श्रमजीवी का नाम शामिल नहीं है किन्तु दो सौ रूपया से अधिक की इच्छा रखने वाले शिक्षित बेरोजगार का नाम है। मैने तो अपने अनुसंधान में यह पाया कि भारत मे श्रम शोषण और आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण साम्यवादी ही हैं जो बुद्धिजीवियों को श्रम जीवी घोषित करके निरंतर श्रम शोषण की नई नई योजनाऍ बनाते रहते हैं।

समान नागरिक संहिता के सबसे बड़े पैरवीकार भारत में संघ परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया कि समान नागरिक संहिता में सबसे बड़े बाधक संघ परिवार के ही लोग हैं। ये लोग नागरिक संहिता और अचार संहिता का अंतर समझते ही नहीं। ये व्यक्ति और

नागरिक का भी अंतर नहीं समझते। वैसे तो आज तक अन्य किसी दल या समूह ने भी यह अंतर नहीं समझा और भारत में आचार संहिता को विकृत करने का पहला दोष हिन्दू कोड बिल के रूप में पण्डित नेहरू का था किन्तु अन्य दल नागरिक संहिता की चर्चा नहीं करते, सिर्फ संघ परिवार करता है। संघ एक ओर तो समान नागरिक संहिता की मांग करता है दूसरी ओर हिन्दू राष्ट्र, मंदिर, गाय जैसे धार्मिक मुद्दें भी जोर शोर से उठाता रहता हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति की बात भी बहुत जोर शोर से करते हैं, किन्तु यह नहीं बता पाते कि संस्कृति का संबंध आचार विचार से अधिक जुड़ा है या वस्त्र, नाम पूजा पद्धति और रहन सहन से।

हम लोगों ने यह पाया कि भारत भौतिक उन्नति तो कर रहा है, राष्ट्र निरंतर मजबूत और समृद्ध हो रहा है किन्तु समाज लगाातार पिछड़ रहा है। हमें समृद्ध भारत के साथ साथ सुखी समाज के लिए प्रयत्न करना चाहिये था जो हम नहीं कर सके। क्योंकि पहली बात तो हमारे लोग राष्ट्र और समाज का अंतर ही नहीं समझ सके तथा राष्ट्र को ही समाज समझ लिया और दूसरी भूल यह भी कर दी कि उन्होने राष्ट्र और राज्य का भी अंतर समाप्त करके राज्य को ही सब कुछ बना दिया। परिणाम स्वरूप समाज में ग्यारह समस्याएँ ''(1) चोरी, डकैती, लूट, (2) बलात्कार, (3) मिलावट कमतौल, (4) जालसाजी धोखाधड़ी, (5) हिंसा और आतंक, (6) भ्रष्टाचार, (7) चरित्र पतन, (8) साम्प्रदायिकता, (9) जातीय कटुता, (10) आर्थिक असमानता, (11) श्रम शोषण'' लगातार बढ़ती चली गई। हमने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इन ग्यारह समस्याओं के निकट भविष्य में समाधान की भी कोई संभावना नहीं है क्योकि किसी भी राजनैतिक दल के पास ग्यारह में से किसी एक भी समस्या के समाधान की न कोई योजना है न समझ।

हम लोगों ने अपने अनुसंधान में यह भी पाया कि समाज में बढ़ रही समस्याओं का कारण न व्यक्ति है न समाज । जब कि हमारे सामाजिक धार्मिक लोग व्यक्ति और समाज को दोषी बता कर उसके सुधार के लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। भारत में शासन की सर्वागीण व्यवस्था के अन्तर्गत समाज रहता है और संविधान के अन्तर्गत शासन। हम इस नतीजे पर पहुॅचे कि ग्यारह समस्याओं के लिये संविधान में ही व्यापक संशोधन आवश्यक है। इसलिये हम लोगों ने संविधान संशोधनों की एक व्यापक श्रृंखला तैयार की ।

इसके लिये हम एक बार तो लगातार दस दिन तक बैठे और संशोधित संविधान का प्रारूप बनाया और उस प्रारूप के आधार पर सितम्बर उन्नीस सौ पंचान्नवे को भारत के एक सौ पांच निश्चित स्थानों पर आयोजित बैठकों में विचार मंथन हेतु निकल पड़े। हम चाहते थे कि इस दो माह की यात्रा के बाद उन्नीस सौ छियान्नवे में एक पंद्रह दिन का सम्मेलन करे और संविधान संशोधनों का अंतिम स्वरूप समाज को समर्पित करके जनमत जागरण शुरू कर दें। किन्तु यह राह हमारे लिये इतनी आसन नहीं थी। हमारा पूरा अनुसंधान मीडिया से दूर था किन्तु दो माह की यात्रा ने हमें सुर्खियों में ला दिया। हमारे मीडिया कवरेज से मध्य प्रदेश की दिग्विजिय सिंह सरकार तिलमिला उठी। उसने हमारे रामानुजगंज के कार्यो की उच्च स्तरीय जॉच कराई। हमारा मुख्य नारा था '' नेता बेईमान है, सन्त गुरू नाकाम हैं, हम सब आज गुलाम हैं, अपराधी खुलेआम हैं। अब स्वराज्य का नारा दो, हम पर राज्य हमारा हो''। दूसरा नारा था ''सब सुधरेगा तीन सुधारे नेता, कर, कानून हमारे''। इन नारों ने आग में घी का काम किया। अपराधियों ने भी बहुत हवा दी। हमारे सम्पूर्ण कार्य को समानान्तर शासन का नाम दे दिया गया। माना गया कि हमारा काम बारूद के नीचे की आग है जिसे तत्काल और कठोरता से दबा देने की आश्यकता है। इक्कीस दिसम्बर पंचान्नबे को दिग्विजिय सिंह जी के आदेश पर रामानुजगंज शहर पर आक्रमण कर दिया गया। आश्रम से जुड़े व्यापारियों का अनाज तिलहन सब जप्त कर लिया गया। मेरे भाइयों सहित कई व्यापारियों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। आम नागरिकों को डराया धमकाया गया किन्तु सब ने एक स्वर से कहा कि बजरंग बाबू जो निर्णय लेंगे वह सब स्वीकार करेंगे। मेरे पास संदेश आया तो मैने कहा कि आप चाहे मेरे भाईयों को गोली मार दें किन्तु मै न कोई असंवैधानिक कार्य कर रहा हूॅ , न ही गैर कानूनी। हम संविधान की समीक्षा करेंगे, अपराध रोकने में पहल करेंगे, समाज को सरकार कहना बंद नहीं करेंगे आदि । दूसरे दिन से दमन चक्र और बढ़ा । पूरे शहर के सभी व्यापारियों का मिलाकर पच्चीस हजार बोरा सीमेंट जप्त कर लिया गया। मेरे परिवार की सारी जमीन और खेती जप्त

कर ली गई। घर गिराने के लिये नाप जोख शुरू हुआ । दूर दूर तक के रिश्तेदारों को मुझसे सम्पर्क तोड़ने की सलाह दी गई। दूरदर्शन पर चार पांच दिन तक मेरा चित्र प्रकाशित करके मेरे विरूद्ध प्रचार हुआ। पूरे शहर के आर्य समाज के लोग और प्रमुख व्यापारी शहर से बाहर हट गये । शहर से बाहर की पुलिस तथा अन्य सभी विभागों के बड़े अफसरों ने डेरा डाल दिया। पचासों बाहर की सरकारी गाड़ियॉ बिना काम के भी इधर उधर घूमने लगीं।

हमारे शहर के सरकारी कर्मचारियों और असफसरों ने गुप्त मीटिंग करके तय किया कि वे कोई भी कानूनी और मौखिक आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कई अफसरों को हटाकर नये अफसर बिठा दिये गये। कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। वन विभाग के एक डिप्टीं रेंजर को पीटने की कोशिश की गई तो पूरा वन विभाग इकट्ठा हो गया। प्राचार्य से कहा गया कि वह मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दें। बैंक वालों को आदेश दिया कि मेरे परिवार के कर्ज तत्काल वसूल करें। मेरे खेतों की बिना सूचना के बिजली के कनेक्शन काट दिये गये। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी प्रतिदिन स्वयं फोन करके स्थिति की समीक्षा करते रहे। शायद स्वतंत्रता के बाद भारत में इतना बड़ा और संगठित अत्याचार और कोई न हुआ हो जो इतने बड़े शहर पर इतना व्यापाक हुआ हो और छुपा रह जावें।

इस आक्रमण का अतिवादी स्वरूप तब दिखा जब तीस मार्च को घोषित मेरी सभा पर आक्रमण करके मुझे गोली मारने की योजना बनी। इस मिटिंग के लिये बंग जी सहित कई राष्ट्रीय स्तर के स्थापित विद्वानों कों मैने बुलाया था। उसमें अम्बिकापुर के विधायक और कांग्रेसी नेता मदनगोपाल सिंह और कैलाश अग्रवाल भी शामिल थे। जब पुलिस की आक्रमण की तैयारी हो चुकी और पुलिस पूरी तैयारी से ऑसू गैस आदि लेकर वहॉ पहुॅची तो हम लोगों ने तत्काल ही मंच पर सभी विद्वानों को एक साथ बिठा दिया। पुलिस एकाएक घबरा गई और उसने कलेक्टर को स्थिति बताई और तब पुलिस चुपचाप लौट गई।

इस संघर्ष का एक दूसरा पक्ष भी रहा। संघर्ष शुरू होने के 3–4 दिन बाद ही मैंने न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल किया जिसके उत्तर में प्रशासन ने लिखा किं मैं नक्सलवादी हूॅ अपने को सरकार कहता हूॅ ब्लैक और तस्करी का समर्थक हूॅ समानान्तर सरकार चला रहा हूॅ। हमारा पक्ष था कि नक्सवादी होना कोई अपराध नहीं जब तक कोई कानून न तोड़ा जाय, न ही कानूनों का अक्षरशः पालन करते हुए समानान्तर सरकार चलाना कोई अपराध हैं। अपने को सरकार कहना भी प्रतिबंधित नहीं है क्योकि बंगाल में तो लोग स्वयं को सरकार लिखते भी हैं। तस्करी या बलैक का आरोप असत्य है क्योंकि न पुलिस में कोई जानकारी है न कलेक्ट्रेट में। हाई कोर्ट ने एस. पी. कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर कई प्रश्न किये। कलेक्टर ने मुझे नक्सलावादी कहा तो न्यायालय ने पूछा कि यदि कोई नक्सलवादी है तो क्या पूरे शहर का सीमेंट जप्त किया जाएगा या उसकी जमीन जप्त होगी? अंत में कलेक्टर ने न्यायालय से लिखित क्षमा मांगी तब अनाज जप्ती को छोड़कर अन्य सारे मुकद्मे वापस हो गये और कलेक्टर, एस.पी को चेतावनी देकर छोड़ा गया। बाद में मैने कलेक्टर पर मुकद्मा किया जिसमें से एक मानहानि के केस में कलेक्टर को पचपन हजार रूपया का व्यक्तिगत रूप से अर्थ दण्द किया गया है जिसकी अपील चल रही है। अन्य मुकद्में विचाराधीन है।

इस संघर्ष का एक तीसरा पक्ष भी है । घटना के दस दिनों के अंदर ही सर्वोदय की एक छः सदस्यीय टीम रामानुजगंज जॉच के लिये आई। इस टीम ने दो तीन दिन रहकर जॉच की और पाया कि बहुत अत्याचार हुआ है। टीम का नेतृत्व यशपाल जी मित्तल कर रहे थें और साथ में कृष्णराज जी मेहता, कुसुमलता केड़िया तथा मध्य प्रदेश सर्वसेवा संघ के अध्यक्ष मंत्री थे। बाजार में कर्फ्यू का सन्नाटा था। कोई डर से बात नहीं करने को तैयार था। कुसुमलता केड़िया ने चौक पर खड़े होकर भाषण देना शुरू किया और घोषणा कि कि जब तक वहॉ सामान्य स्थिति शुरू नहीं होती तब तक वहॉ के गरीबों के सर्वोदय की ओर से मुफ्त भोजन कराया जाएगा, जिसका पैसा वे स्वयं देंगी। ऐसा उनका होटल वहॉ एक माह तक चला। किन्तु रिपोर्ट देने में दो गुट हो गये। यशपाल मित्तल जी के गुट का मानना था कि जो लोग शराब जुआ वैश्यावृत्ति को अपराध न माने उनके

साथ अत्याचार होना उचित हैं। दूसरे गुट के प्रमुख मध्य प्रदेश सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष मंत्री आदि का था, जो मानता था कि भले ही सैद्धान्तिक रूप से इन कार्यो को अपराध न माना जाय किन्तु यदि कोई व्यक्ति इन कार्यो को करता नहीं हैं तब तक वह अपराधी नहीं है और यदि करता भी हो तब भी पूरे शहर पर अत्यचार उचित नहीं। परिणाम स्वरूप रिर्पोट विवादास्पद रही। तीन माह बाद बंग जी, अमरनाथ भाई, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान से बाबूलाल जी शर्मा आदि की दी गई। कलेक्टर इनके व्यक्तिगत परिचित थे, जिन्होने कहा कि उन पर उपर का दबाव है। इस टीम ने अत्याचार की सही तस्वीर रिपोर्ट में दी।

इस टकराव में एक चौथ पक्ष भी रहा। रामानुजगंज के सभी सरकारी कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारीयों तक यह जानते हुए भी कि इस मामलें की देखरेख स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पूरी तरह जनता के साथ रहे। इस सम्पूर्ण टकराव में हम लोगों को पूरी आदिवासी, हरिजन, गरीब–अमीर, सबका समान रूप से समर्थन मिला। शहर ही नहीं, आस–पास के देहातों के सामान्य नागरिक और कर्मचारी एक जुट थें। छः महिनों में ही प्रशासन हार गया और हम जीत गये। इस सम्पूर्ण संघर्ष में इतना जन बल होते हुए भी हमने न कभी हड़ताल की न चक्का जाम किया। सारे अत्याचारों को हम गांधीवादी तरीके से झेलते रहे किन्तु कायरता नहीं दिखाई।

इस संघर्ष का एक पांचवा पक्ष भी था। उस समय के भारत के गृहमंत्री और प्रसिद्ध साम्यवादी नेता इन्द्रजीत जी गुप्त को पता लगा कि रामानुजगंज में ऐसा अमानवीय अत्याचार हो रहा है तो उन्होने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को हमारे समर्थन में एक कड़ा पत्र लिखा था। उस समय के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री सलीम शेरवानी जी ने घटना के प्रति मुख्यमंत्री से विरोध व्यक्त किया। किन्तु मुख्यमंत्री ने सबको यही कहा कि मैं नक्सवादी हूँ और रामानुजगंज शहर के लोग अपना संविधान चला रहे है।

इस संघर्ष में हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई। ज्ञान तत्व का पब्लिकेशन सात हजार से घटकर पॉच सौं हुआ। सर्वोदय का एक गुट विरोध में आ गया और छियान्नवे में होने वाला सम्मेलन निन्यान्नवे में हो पाया। इस सम्मेलन में भी कई सौ विद्वान बैठकर भारतीय संविधान संशोधनों का प्रारूप बनाने में लगे रहे। यह सम्मेलन पंद्रह दिनों तक चला और चार नवंबर निन्यान्नवे को संशोधित संविधान की प्रस्तावित प्रति एक सादे सार्वजनिक समारोह में राष्ट्र को समर्पित करके अनुसंधान का काम भी बन्द कर दिया गया और आश्रम भी बंद हो गया।

पंद्रह वर्षो के इस अनुसंधान में करीब पचास लाख रूपया खर्च हुआ जो वहॉ के व्यापारी वर्ग ने किया और जो कम हुआ वह मेरे परिवार से लगा। स्थानीय आर्य समाज ने अनुसंधान का नेतृत्व किया। इस अनुसंधान से मूल अधिकार, समाजवाद, अपराध, लोकतंत्र, बेरोजगारी, आदि की अब तक पश्चिमी विद्वानों द्वारा बताई गई परिभाषाओं में आवश्यक संशोधन हुआ, समाज, राष्ट्र, और राज्य शब्दों की भी और अधिक स्पष्ट व्याख्या हुई और मंहगाई, दहेज आदि अनेक अस्तित्वहीन समस्याओं का भ्रम दूर हुआ। इस अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ कि चरित्र का व्यवस्था पर कम और व्यवस्था का चरित्र पर व्यापक प्रभाव होता है, जबकि अब तक समाज में व्यवस्था की अपेक्षा चरित्र निर्माण को ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस अनुसंधान से निम्नांकित निष्कर्ष और निकलेः–

(1) राजनीतिज्ञ जानबूझकर या भ्रम वश समस्याओं को बढ़ा रहे है। अधिकांश राजनेता स्वार्थवश ऐसा कर रहे है। अतः न राजनीति में सुधार संभव है न ही राजनीतिज्ञों को सुधारा जा सकता हैं।

(2) धार्मिक सामाजिक संस्थाऍ वास्तविक समस्याओं से मुॅह चुरा रही हैं और सारा दोष व्यक्ति या समाज पर ही डालकर उनका मनोबल तोड़ रही है

(3) समस्याओं का समाधान संभव है क्योंकि अधिकांश समस्याऍ कृत्रिम हैं। वास्तविक समस्याऍ तो कम ही है।

(4) भारत का संविधान बनाने में समाज की कोई भूमिका नहीं थें। उसमें न समाजिक विचारक शामिल थे न धार्मिक। यहॉ तक कि गॉधी जी भी शामिल नहीं थीं। सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग ही संविधान बनाने में शामिल थे उन्होने पूरा संविधान राजनेताओं के पक्ष में बना कर उन्हें संरक्षक और समाज को गुलाम रहने की पृष्ठ भूमि तैयार कर दी।

(5) समाज में शराफत लगातार कमजोर और धूर्तता मजबूत होती जा रही है।

(6) शासन का प्रथम दायित्व होता है सुरक्षा और न्याय। शासन ने सुरक्षा और न्याय को पीछे करके जन कल्याणकारी राज्य को अपना प्रथम दायित्व घोषित कर दिया।

(7) श्रम शोषण अमानवीय भी है और शन्ति व्यवस्था के लिये खतरा भी । भारत में पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से श्रम शोषण के कानून बनाये गये है। श्रमिक आंदोलनों की ऐसी श्रम शोषक कानून बनवाने में महत्वपूण भूमिका है।

(8) भारतीय संविधान दुनियॉ का सबसे अधिक अस्पष्ट और अप्रभावी संविधान है।

(9) परिवार व्यवस्थ सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था की पहली इकाई है हमारे संविधान में परिवार व्यवस्थ को लगातार अमान्य किया गया हैं। बल्कि परिवार व्यवस्था को कमजोर करने में शमिल की बहुत बड़ी भूमिका है।

(10) स्थानीय व्यवस्था का मजबूत होना शासन के लिये बहुत हितकर हैं। हमारे संविधान ने स्थानीय व्यवस्था को नकार दिया है।

(11) नीति निर्देशक तत्व तथा नागरिकों के मूल कर्तव्य जैसे अनावश्यक अध्याय जोड़कर संविधान को अधिक पेचीदा बना दिया गया है। ये दोनो अध्याय समाज को गुलाम बनाकर रखने में शासन के सहायक है।

अन्य कई मुद्दों पर भी चौंकाने वाले नतीजे निकले। ऐसे सभी निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन करते हुए भारत की राजनैतिक व्यवस्था के लिये एक संशोधित संविधान का प्रारूप चार नवंबर निन्यान्नवे को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस प्रस्तावित संविधान में वर्तमान संविधान से आधे से भी कम अर्थात् एक सौ पैंसठ अनुच्छेद हैं तथा वर्तमान संविधान के दसवें भाग के पृष्ठों में अंकित है।यह प्रारूप भारत की अधिकांश समस्याओं का तो समाधान है ही, विश्व के अन्य देशों के लिये भी मार्ग दर्शक हो सकता है।

अनुसंधान का कार्य समाप्त होते ही सब लोगों ने आदोलन पर सोचना शुरू किया। समाज की स्थिति का आकलन करते हुए तय किया गया कि कोई आंदोलन के लिये जनमत जागरण के पूर्व इसका कहीं प्रयोग किया जाय। प्रयोग के लिये रामानुजगंज शहर को सबसे अधिक उपयुक्त स्थान माना गया । मैने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मेरा घोषणा पत्र मात्र यही था कि मैं न आफिस में काम करूॅगा न ही शहर की सड़क, पानी , बिजली, साफ सफाई आदि के काम करवाउॅगा। मैं तो कानूनों में इस तरह फेर बदल कर दूॅगा कि शहर के आम लोगो को शुक्रवार की शाम को साढ़े पॉच बजे नगरपालिका कार्यालय में इकट्ठे होकर फाइल देखने, स्टाफ से प्रश्नोत्तर करने तथा सामूहिक रूप से विचार करके निर्णय का अधिकार मिल जावे। चुनाव में भारी बहुमत से मैं जीत कर जनवरी दो हजार में अध्यक्ष बन गया । प्रारंभ में कुछ महिनों तक तो आम लोग आते ही नहीं थे, क्योकि उन्हें लगता था कि यह सब होगा नहीं किन्तु धीर–धीरे उनका स्वामित्व जगा और एक वर्ष में ही बड़ी संख्या में लोग आने लगे।वहॉ जो भी निर्णय होता था, उसे ही हम अपनी परिषद् में पारित करके शासकीय औपचारिकता पूरी कर लेते थे। हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस कार्य प्रणाली में दिक्कत हुई तो हम लोगों ने विधिवत् प्रस्ताव पारित करके सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को वैध घोषित कर दिया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिवर्ष मतदाता परिषद में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। यदि परिवार में सात से कम सदस्य होंगे तो पड़ोसी परिवार को मिलाकर परिवार बनेगा। यह भी व्यवस्था हुई कि नगर पंचायत के कोई भी प्रस्ताव अस्सी प्रतिशत के ही बहुमत से पारित होंगे।

अस्सी से कम बहुमत के प्रस्ताव विवादास्पद मानकर मतदाता परिषद् के मतदान द्वारा पास किये जाएंगे। और भी कई प्रस्ताव पारित हुए। उक्त प्रस्तावों को रामानुजगंज नगर पंचायत स्वशासन प्रस्ताव दो हजार एक के नाम से कहा गया।

शुक्रवार को जनता बैठकर निर्णय करती थी और परिषद् औपचारिक प्रस्ताव पारित करके कार्यान्वित करती थी। एक दिन नागरिकों ने पारित किया कि चोरी, डैकती दादागिरी गुण्डागर्दी, रोकने में पुलिस सफल नहीं है क्योकि पुलिस दो नम्बर के कार्यो से ही ओवर लोडेड हैं, वह तीन नम्बर कैसे रोक सकती है। तीन नम्बर रोकने में नगर पंचायत भी पहल करे। हम लोगों ने रात्रि गश्त शुरू करा दी। हमने अपनी पुलिस व्यवस्था भी बनाई।हम चोर पकडकर थाने को देने लगे और न्यायालय में भी आवश्यकता अनुसार अपना वकील खड़ा करने लगे।

कुछ ऐसे भी खर्चे थे जो रेकार्ड में दिखाना संभव नहीं था। हमारे स्टाफ की भी कुछ इच्छाऍ थी। शहर के लोगों ने तय किया कि नगर पंचायत में काम करने वाले लोग यदि स्वेच्छा से दस प्रतिशत राशि एक फंड में जमा करें तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। हम लोगों ने वैसी व्यवस्था शुरू कर दी। इस बीच सिद्धराज जी ढढा के नेतृत्व में एक सर्वोदय दल सम्पूर्ण कार्य को दखने आया। सिद्धराज जी ने इस कार्य को साधन अशुद्धि माना। मेरा कहना था कि भ्रष्टाचार की परिभाषा है कि वह मालिक से छिपाकर किया जाए। यहॉ मालिक जनता है न कि सरकार। लेकिन वे नहीं माने और उन्होने इस एक आधार पर हमारे सारे प्रयत्नों को अशुद्ध घोषित कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि युद्ध के समय उच्च चरित्रवान लोग अधिक बाधक होते है। ये चरित्रवान लोग सामान्यकाल और आपत्तिकाल का अंतर नहीं समझते और युद्धकाल में भी भीष्म या युधिष्ठिर की भूमिका से उपर नहीं उठते। मै जानता हूँ कि वर्तमान व्यवस्थ के जुड़े लोग भी यही तर्क देते है, किन्तु खास बात यह है कि उनका तर्क स्वार्थपूर्ण होता है और हमारा निस्वार्थ, स्वार्थ और निःस्वार्थ का अंतर समझना कठिन नहीं होता।

हमारे प्रयत्नों की अखबारों में चर्चा हुई। तत्कालीन कलेक्टर ने हम लोगों के प्रस्ताव को कानून का उल्लंघन माना । मेरी पेशी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के समक्ष हुई। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गांधीवादी केयूर भूषण जी तथा हर प्रसाद जी अग्रवाल ने भी जोगी जी को हमारे पक्ष में बताया। जोगी जी ने सारी बातें सुनकर कलेक्टर को कहा कि सब कुछ गैर कानूनी होते हुए भी जनहित में हैं। ये लोग चोर पकड़कर पुलिस को ही देते है, भ्रष्टाचार करते नहीं । इसलिये प्रशासन को चुप रहना चाहिये। जोगी जी ने हमारे लोगों को कहा कि ये प्रयत्न कानूनी सहमति प्राप्त नही कर सकते क्योकि रमानुंजगंज शहर के लिये कोई अलग कानून नहीं बन सकता है। इसलिये आप लोग कानूनी मान्यता का प्रयत्न न करे। इस तरह हमें अपना प्रयोग जारी रखने की हरी झंडी मिली जो भाजपा सरकार बनने के बाद भी जारी रही।

इस अवधि में रामानुजगंज शहर का अभूतपूर्व विकास हुआ। टैक्सों की वसूली भी रिकार्ड स्तर की हुई और भ्रष्टाचार भी नियंत्रित हुआ। सरकारी अनुदान भी खूब मिला। जितना काम पचास वर्षो में नही हुआ वह पांच वर्षो में हो गया। सड़क पानी, प्रकाश, साफ सफाई आदि की सारी समस्याऍ दूर हुई। चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी , दादागिरी पर पूरा नियंत्रण हुआ। मेरे चार्ज लेते समय नगर पंचायत पर कई लाख का कर्ज था और मेरे छोड़ते समय नगर पंचायत के पास करोड़ो का बैंक बैलेन्स था। मैं महसूस करता हूँ कि यदि मैं नगरपालिका की कुर्सी पर बैठकर शासन चलाता तो इतना विकास नहीं कर पाता जो कुर्सी जनता को सौपने से हो सका। हमारे इस सम्पूर्ण प्रयोग के मार्ग दर्शन में सर्वोदय की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसमें ठाकुरदास जी बंग तथा शिवशंकर जी पेंटे सर्वाधिक प्रखर रहे।

सितम्बर दो हजार चार को अम्बिकापुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रामानुजगंज की समीक्षा करते हुए आगे आंदोलन की रूपरेखा पर विचार हुआ। सब लोग रामानुजगंज शहर की समीक्षा हेतु वहॉ गये और वहॉ रहकर अध्ययन किया और पूरी तहर संतुष्ट हुए । अम्बिकापुर सम्मेलन में तय हुआ कि अब आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने का उपयुक्त समय है क्योंकि अनुसंधान भी पूरा हो चुका है और प्रयोग भी पूरी तहर सफल रहा हैं।

रामानुजगंज के पांच वर्षो के अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी बाधा है राजनेताओं, अपराधियों, पूँजीपतियों का गठजोड़। इस गठजोड को संवैधानिक ताकत प्राप्त होने से दो प्रतिशत यह अलपसंख्यक वर्ग अठान्नवे प्रतिशत बहुसंख्यक लोगो को गुलाम बना कर रखें हुए है। हम जिन संवैधानिक संशोधनों की बातें कर रहे हैं वे तब तक संभव नहीं है जब तक इस गठजोड़ को कमजोर न कर दें। सम्पूर्ण संघर्ष को तीन चरणों में विभाजित करना होगा,

(1) राजनैतिक शक्ति पर अंकुश, (2) समाज की समस्याओं का संवैधानिक समाधान, (3) समाज की समस्याओं का सामाजिक समाधान। यद्यपि पहले और दूसरे चरण संविधान संशोधन से जुड़े हुए है किन्तु दोनो कार्य एक साथ संभव नहीं है और पहला कार्य हुए बिना दूसरा संभव ही नहीं है। इसलिये संघर्ष पहले चरण पर ही केन्द्रित करना आवश्यक हैं। यदि पहले चरण को शुरू करने के लिये स्वत़ंत्रता संघर्ष सरीखा एक महासंग्राम छेड़ना होगा जिसमें बिल्कुल स्पष्ट ध्रवीकरण हो अर्थात् एक तरफ वे लोग हों तो केन्द्रित शासन व्यवस्था के पक्षधर हों। इस समूचे संघर्ष के लिये सर्वोदय के कालीकट में पारित त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन प्रस्ताव को आधार बनाकर आगे बढ़ना निश्चित किया गया। यह भी तय किया गया कि इस आंदोलन को सर्वोदय से मिलकर तो किया जाए किन्तु सर्वोदय में मिलकर आंदोलन करना ठीक नहीं क्योंकि सर्वोदय के लोगों के पास अनेक काम होने से पता नहीं वे इस आंदोलन पर कितना ध्यान देंगे।

इसलिये तय हुआ कि (1) लोक स्वराज्य मंच पृथक अस्तित्व बनाये हुए सर्वोदय के विकेन्द्रीयकरण समर्थक और सकिय साथियों के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े।

(2) आंदोलन के लिये अपना कार्यालय रामानुजगंज से हटाकर दिल्ली में रखा जाय।

(3) प्रयत्न किया जाय कि सभी विकेन्द्रीयकरण समर्थक एक साथ जुड सके।इसमें किसी प्रकार का भेद न किया जावे। किसी अन्य मामलें मे किसी के भिन्न विचार या कार्य भी हों तो उन्हे बाधक न होने दिया जाय।

इस संघर्ष में एक बड़ी आवश्यकता थी चपद चवपदज सेनम की। राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण का प्रयास ही वह पेनम बन सकता था जो अन्य सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग खोलता। त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान इस कार्य के लिये सबसे अच्छा मार्ग समझा गया। यह अभियान लोकतंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से बदलकर लोक नियंत्रित कर सकता है। मुख्य मुद्दा यह है कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में संसद को कस्टोडियन के जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें कस्टोडियन से हटाकर मैनेजर का स्वरूप देना है। प्रतिनिधि वापसी का अधिकार और संविधान में परिवार, गांव , जिले की सूची का समावेश करने से यह काम पूरा हो सकता है। अम्बिकापुर सम्मेलन में सर्वोदय के साथ सहयोग की स्थिति में इसमें नीति निर्देशक तत्वों के आवश्यक अंश बाध्ययकारी करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। दो तीन चार सितम्बर को दिल्ली सम्मेलन में गोविन्दाचार्य जी की सलाह से विदेशी समझौतों की संसदीय पुष्टि का प्रस्ताव जोड़कर चार किया गया। धीरे धीरे यह अनुभव मे आया कि अन्य संस्थाऍं प्रस्ताव पारित करके सक्रियता के प्रति पर्याप्त गंभीर नहीं रहती । वे व्यवस्था परिवर्तन के तीन चरण के प्रति भी स्पष्ट सोच नहीं बना पातीं और समाज सुधार जैसे तीसरे चरण को भी साथ लेकर चलती है। स्वाभविक है कि समाज सुधार के कार्यो में उन्हें समाज भी अधिक सहायता करता है और सरकार भी। इसलिये ये संस्थाऍं व्यवस्था परिवर्तन के प्रति औपचारिक हो जाती है जबकि हम लोग इसे निर्णायक संघर्ष में बदलना चाहते हैं। इसलिये जनवरी दो हजार छः में यह तय हुआ कि अब कोई भी पॉचवा सूत्र नहीं जोड़ा जायगा, संस्थओं की जगह पर व्यक्तियों के साथ जुड़ाव किया जायगा और पहले दूसरे प्रस्ताव पर अधिक जोर दिया जायेगा। हम लोगों ने महसूस किया कि अनेक संस्थाऍं राजनिति पर नियत्रण तो चाहती हैं किन्तु राजनीति से दूर रहने के प्रति स्पष्ट नही हैं। ऐसी संस्थाओं से सतर्क सम्पर्क रखना ही उचित होगा।

अगस्त सितम्बर दो हजार छः में मैने और आचार्य पंकज जी ने दो माह की भारत यात्रा की । अनुभव किया गया कि नक्सलवाद भारत की एक गंभीर और तातकालिक समस्या है। भारत में एक वर्ग ऐसा है जो श्रमजीवी, ग्रामीण, मूलवस्तु उत्पादक होते हुए भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं।इस वर्ग का उपर के वर्ग बुद्धिजीवी, शहरी जीवन, अन्य व्यवसाय तथा गरीबी रेखा के उपर वालों पर से लगाातार विश्वास हट रहा हैं और यह वर्ग बन्दूक उठाने को समस्या का समाधान मानने लगा है। सत्ता लोलुप बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इस शोषित वर्ग को प्रेरित भी कर रहा हैं। गांधी जी ने शासन मुक्ति और शोषण मुक्ति को एक साथ जोड़कर देखा था किन्तु हम शासन मुक्ति की दिशा में तो सक्रिय हैं किन्तु शोषण मुक्ति की दिशा में नहीं। हमने यह तो अनुसंधान में ही खोज लिया था कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग वाम पंथ और दक्षिण पंथ में बटकर श्रमशोषण के नये नये तरीक खोजते रहता है किन्तु उद्देश्य दोनो का एक हैं। साइकिल पर भारी कर लगाने और रसोई गैस की सबसीड़ी को दोनो एक मत से समर्थन करते हैं। इसलिये दो अक्टूबर से श्रमशोषण मुक्ति अभियान नाम से एक पृथक संगठन शुरू करने की पहल की गई।

हम लोगों ने यह भी महसूस किया कि दो, तीन, या सूत्रों का संविधान संशोधन लोकतंत्र को लोक नियंत्रित कर सकता है, नई व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ग्यारह समस्याओं के समाधान की मुख्य बाधा को दूर कर सकता है किन्तु स्वयं में नई व्यवस्था है न ही समस्याओं का समाधान। आंदोलन की सफलता उसी तहर गलत दिशा में जा सकती हैं जिस तहर गांधी और जयप्रकाश के समय हुआ। आवश्यक है कि आंदोलन के साथ साथ नई व्यवस्था के प्रारूप पर भी बहस चलती है। हम लोगों ने नई व्यवस्था को लक्ष्य करके जो संशोधित संविधान का प्रारूप बनाया है उसे बने दस पंद्रह वर्ष हो गये है। साथ ही वह एक छोटे वर्ग द्वारा बनाया हुआ प्रारूप है। इसलिये तय हुआ कि एक लोक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें भारत के पंद्रह सौ स्थापित और स्वतंत्र विद्वानों को शामिल किया जाय यह सभा दो हजार आठ के सितम्बर माह में एक माह तक लगातार बैठकर दिल्ली में संविधान संशोधन के प्रस्तावों को अंतिम रूप देगी।

दुनिया में चार प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाऍं हैं (1) पश्चिम का लोकतंत्र जिसमें व्यक्ति को सर्वाधिक शक्तिशाली मानकर राज्य धर्म और समाज को गौण किया गया, (2) साम्यवाद जिसमें राज्य को सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न बनाकर व्यक्ति, धर्म और समाज को गौण किया गया, (3) मुस्लिम देश जहॉ धर्म को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाकर राज्य व्यक्ति और समाज को गौण किया गया। चौथी व्यवस्था भारतीय थी जहॉ समाज सर्वाधिक शक्तिशाली होकर धर्म, राज्य और व्यक्ति उसके समक्ष गौण थे। किन्तु भारतीय संविधान में लोकतंत्र का व्यक्ति है, साम्यवाद का राज्य है, इस्लाम का धर्म है किन्तु उसमें परिवार, गांव और समाज बिल्कुल नहीं है। भारत को एक स्वदेशी संविधान की आवश्यकता है, स्वदेशी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है कि स्वदेशी के स्थान पर भी स्वदेशी शासन व्यवस्था की जगह पर स्वदेशी साबुन और स्वदेशी पेय तक ही सीमित आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा है। हम चाहते है कि भारत में स्वदेशी शासन व्यवस्था का एक प्रारूप बने है और उस आधार पर धर्म, राज्य और व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी पुनजीर्वित करने और शक्तिशाली बनाने का आंदोलन चले। हम अपनी सीमित किन्तु पूरी ताकत से ऐसे आंदोलन को लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे है।

मैने पूर्व में ही सोचा था कि दो हजार सात तक मुझे वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिये। उन्तीस अक्टूबर दो हजार छः को मैने आर्य महासम्मेलन में स्वामी जगदिश्वरानन्द जी द्वारा वानप्रस्थ की दीक्षा ली है। अब मैने अपने वर्तमान पद छोड दिये है। मैने यह निश्चय किया है कि भविष्य में भी पद और सम्पत्ति से अधिक से अधिक दूर रहूॅगा। इसका अर्थ नहीं कि मेरी आंदोलन में सक्रियता कम हो जायगगी। अब मैं और अधिक सक्रियता से आंदोलन की सहायता कर सकूॅगा।

अभी हमारे आंदोलन की सात सहायक संस्थाऍं हैं ।

(1) **ज्ञान यज्ञ मंडल** :– प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आधा घंटे के यज्ञ के बाद किसी निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन इसका कार्य है। यह आंदोलन की अन्य संस्थाओं की सहायता तथा समन्वय भी करता है।

(2) **व्यवस्था परिवर्तन अभियान** :– राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण का अद्‌भुत प्रयास इसका लक्ष्य हैं।

(3) **लोक स्वराज्य मंच** :– समाज में शासन के अधिकार, दायित्व ओर हस्तक्षेप न्यूनतम होने के पक्ष में जनमत जागरण इसका लक्ष्य है।

(4) **श्रम शोषण मुक्ति अभियान** :– बुद्धि जीवियों तथा पूँजीपतियों द्वारा वामपंथ और दक्षिण पंथ में बंटकर श्रम शोषण के नये नये तरीके के विरूद्ध समाज को जागरूक करके शोषण मुक्ति के प्रयास ही इसका लक्ष्य है।

(5) **ज्ञान तत्व** :– यह एक पाक्षिक पत्र है जिसके पूर्वार्ध में बजरंग मुनि जी के विचार और उत्तरार्ध में अन्य सम्बद्ध संस्थाओं की गतिविधियॉ लिखी जाती है। इसका वार्षिक शुल्क एक सौ रूपया तथा आजीवन शुल्क पांच सौ रूपया है।

(6) **लोक संविधान सभा** :– भारत की सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था पर गंभीर विचार मंथन करके राज्य ओर समाज के अधिकारों के पुननिर्धारण को लक्ष्य करके भारतीय संविधान में व्यापक संशोधनों का प्रारूप बनाना इसका कार्य है। सितम्बर दो हजार आठ में एक माह तक पंद्रह सौ विद्वानों के सहयोग में इस कार्य को अंतिम रूप देना है।

(7) **सरंक्षण सभा** :– ज्ञान यज्ञ कार्यालय के खर्च की व्यवस्था हेतु संरक्षण सभा है। यह सभा कार्यालय में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का बजट बनायेगी हिसाब किताब पर नजर रखेगी। इस सभा की सहमति के बिना कोई भी व्यय नहीं होगा। इस सभा की सदस्यता शुल्क वार्षिक एक हजार पांच वर्ष तक या चार हजार रूपया आजीवन होगा।

अनेक संस्थाऍ समाज में काम कर रही है जिनमें बड़ी मात्रा में अच्छे लोग हैं। इन संस्थाओं में अपराधी तत्वों की संख्या एक दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। अच्छे लोग अठान्नवे प्रतिशत हैं। इसके बाद भी दो प्रतिशत लोग अठान्नवे प्रतिशत पर मजबूत इसलिये हो जाते हैं क्योकि राजनीति में इनका प्रतिशत अधिक है। और राजनीति में इन पर नियंत्रणा के स्थान पर समाज पर ही नियंत्रण करने की अधिक सक्रियता है। सभी संगठनों के अपराधी तत्व तो विशेष स्थितियों में एक जुट हो जाते हैं किन्तु अच्छे लोग एकजुट नहीं हो पाते । विभिन्न संगठनों के अपराधी तत्व इन विभिन्न संगठनों के अच्छे लोगों को एक जुट होने नहीं देते। ये लोगे इतिहास की कुछ घटनाओं को याद करा करा कर ऐसी शरीफ एकता में बाधा उत्पन्न करते रहते है। हमें यह असंभव काम पूरा करना है कि ऐसे सब लोग एक साथ बैठने की आदत डालें। सामाजिक विघटन के लिये आठ सूत्रों पर वर्ग संघर्ष को हवा दी जाती है, (1) धर्म, (2) जाति, (3) भाषा, (4) क्षेत्रीयता, (5) उम्र (6) लिंग, (7) अर्थ, (8) उत्पादक व उपभोक्ता। सभी संगठन इन आठ में से किसी न किसी एक वर्ग संघर्ष पर केन्द्रित होकर ध्रुवीकरण का प्रयास करते है और देश की राजनैतिक व्यवस्था इन आठों आधारों को अलग–अलग रूपों में मदद करती रहती है। हमारा प्रयत्न अपराधी तत्वों के विरूद्ध समाज को इकट्‌ठा करना है और यह तब तक संभव नहीं जब तक आठ प्रकार के वर्ग संघर्ष में संलग्न राजनीति को अन्य कार्यो से मुक्त करके सुरक्षा और न्याय तक सीमित न कर दिया जाय।

हम अपने प्रयत्नों के प्रथम चरण में सभी संस्थाओं के अच्छे लोगो को शासन मुक्ति शोषण मुक्ति के एक सूत्री पेनम पर केन्द्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो इस प्रयत्न का विरोध करें वे सब बुरे लोग है चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों क्योकि जो लोग लोकतंत्र का अर्थ लोक नियुक्त तंत्र मानते भी है और उसके लिये सक्रिय भी है। वे अच्छे हो ही नहीं सकते। अन्य सारे लोग जो लोकतंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र के रूप में बदलने के पक्षधर हैं वे सभी हमारी दृष्टि में अच्छें लोग है। चाहे वे कितने भी बुरें क्यों न हों या वे निष्क्रिय ही क्यों न हो। सर्वोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आर्य समाज और गायत्री परिवार के प्रमुख लोग इस अभियान के स्वाभाविक मित्र है।

इस अभियान के सभी सूत्र सर्वोदय के ही होने से उन्हें तो कोई कठिनाई ही नहीं है, संघ में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जो राजनीति के माध्यम से किसी परिवर्तन की उम्मीद छोड़ चुके है। गायत्री परिवार और आर्य समाज में भी बड़ी संख्या में लोग उच्श्रृंखल राजनीति को सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण मानकर उस पर अंकुश की चर्चा करने लगे है। इन चारों के अच्छे लोग तो स्वाभाविक रूप से एक मंच पर आ जायगे। अन्य संस्थओं के विकेन्दीयकरण के पक्षधर अच्छे लोगों को इस मंच के साथ जोड़ने के लिये प्रयास तेज करने होंगे।

मैने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें दो निष्कर्ष अंतिम हैं–

(1) **शासन मुक्तिः**— चूँकि गांधी जी भी इसी नतीजे पर पहुँचे थे और मैं भी घूम फिरकर वहीं पहुँच गया हूँ इसलिये मैं अतिम रूप से स्वीकार करता हूँ कि शासन मुक्ति ही भारत की अधिकांश समस्याओं का एकमात्र समाधान है। इस मुद्दे पर मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। जो लोग इससे सहमत नहीं उनके साथ मिलकर मैं कोई काम करने को तैयार नहीं।

(2) **श्रम के साथ न्यायः**— इस विषय पर भी गांधी जी के और मेरे विचार एक हैं कि श्रम को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना पूरी तरह न्याय संगत हैं गांधी जी भी मशीनों को श्रम प्रतिस्पधी मानते थे और मैं भी। किन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि गांधी जी मशीनों पर प्रशासनिक या सामाजिक निंयत्रण के पक्षधर थे और मैं आर्थिक प्रतिबंध का । मैं आधुनिक तकनीक का इस तरह प्रयोग करना चाहता हूँ कि उसका उपयोग अधिकतम हो किन्तु वह श्रम बाधक हो। इस मुद्दे पर भी मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं। किन्तु यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक मुद्दे पर ही काम करे तो मै। उस मुद्दे पर उसके साथा काम करने को तैयार रहूँगा। मेरी किसी के साथ काम करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है।

अन्य सभी मुद्दों पर मेरे विचार, विचार मंथन की प्रक्रिया से गुजर रहे है। आपसी विचार मंथन के बाद इन विचारों में संशोधन परिवर्तन के द्वार खुले हैं।

एक नये संघर्ष की प्रारंभिक पृष्ठभूमि बन चुकी हैं। मेरा कार्य अब अंतिम चरण में है। दो हजार आठ में संविधान संशोधन का अंतिम प्रारूप बनने के बाद मेरा कार्य लगभग पूरा हो जायेगा। उसके बाद आप सबको वर्तमान संघर्ष को महासंग्राम का रूप देना है। मैने रामानुजगंज छोड़ते समय परिस्थितियों का जैसा आकलन किया था दिल्ली आने के बाद पता चला कि परिस्थितियॉ उससे अधिक गंभीर है। मैने विरोधी पक्ष को जितना शक्तिशाली माना था उसकी अपेक्षा वह कई गुना अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान समय में हमें जो लोग संघर्ष में सक्रिय दिख रहे हैं वे घूम फिर कर उसी पक्ष के लोग हैं जो सत्ता संघर्ष को सामाजिक नाम और पहचार देकर मौके की तलाश में हैं। दूसरी ओर समाज सेवा में अनेक संस्थाऍं काम कर रही है जो ऐसे किसी संघर्ष या संग्राम की ओर देखना ही नहीं चाहतीं। स्थिति बहुत विकट है। किन्तु परिवर्तन का यही एकमात्र मार्ग है दूसरा मार्ग नहीं। इन दोनो गुटों के व्यक्तियों को समझाकर ही राह बनानी होगी। यह काम आप और सिर्फ आप ही कर सकते है। मैने अपने जीवन के सर्वोत्तम पचास वर्ष खर्च करके आप सबकी सहायता से समाधान खोज लिया है। अब आप सबको मिलकर आगे बढ़ना है और मैं आपकी सहायता करूॅगा। दो हजार नौ से यह महासंग्राम शुरू हो और यथा शीघ्र अंतिम परिणाम देवे ऐसी तैयारी आप सबको करनी है। काम असंभव तक कठिन है किन्तु नेपाल के लोकतांत्रिक परिवर्तन ने प्रमाणित कर दिया है कि कोई काम असंभव नहीं। ज्ञान यज्ञ कार्यालय ऐसे अभियान का केन्द्र बन रहा हैं। आप से अपेक्षा है कि आप यथा शक्ति शारीरिक, वैचारिक, आर्थिक या अन्य संभव सहायता करके अभियान को संघर्ष और को महासंग्राम में बदलने में अपनी भूमिका पूरी करेंगे।

अहिंसक और संवैधानिक मार्ग द्वारा लोक तंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से लोक नियंत्रित तंत्र, अर्थात् संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र की जगह लोक स्वराज्य हमारा पहला लक्ष्य है क्योकि सब सुधरेगा तीन सुधारे, नेता, कर, कानून हमारे।

वर्तमान लोक नियुक्त तंत्र में–

न कोई लोक है।

न कोई तंत्र है।।

यह आदमी के खिलाफ।

आदमी का खुला षडयंत्र है।।

आइये हम–आप मिलकर

लोक नियंत्रित तंत्र की ओर चलें.....

सब सुधरेगा तीन सुधारे

नेता, कर, कानून, हमारे।।

कृत्रिम उर्जा सस्ती हो,

यह बहुत बड़ा षडयंत्र है।

श्रम का शोषण करने का,

यह पूँजीवादी मंत्र है।।